




**उत्तराखण्ड UTTARAKHAND**

## प्रातःपूर्व २६ नियम ४. क शिष्य पत्र सलाहने

14AA 408157



शिवाय शिवाय

(Signature) (राजेश कुमार)

प्रकृष्ट 26

(नियम 4क देखिए)

69 नन्तर मता (आज्ञा) विद्यान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विद्यान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं अनसुईया

पुलि/पुर्णी/पत्नी

ज़र अहमद

आयु 40 वर्ष

जो ग्राम उमरुखुटड़वाकरवाड़ा उव्वेसी ज़ोळ का/ की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ  
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):

- (I) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... X
- (II) पुलिस थाना (थाने) ..... X ..... जिला (जिले) ..... X ..... राज्य ..... X
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... X
- (IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई ..... X
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... X
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं ..... X

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... X
- (II) न्यायालय, जिसके दंडित किया है..... X
- (III) पुलिस थाना (थाने) ..... X ..... जिला (जिले) ..... X ..... राज्य ..... X
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... X
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे..... X
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं ..... X

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान:- सितार छाज

तारीख:- 11-01-2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/ करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य वाल छिपाई नहीं गई है।.....

सितार छाज स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।

11-01-2012

Anurag

टिप्पणी - इस प्रूलप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी का लागू नहीं है, काट दिए जाए।

Government of India  
Department of Environment Protection

Ministry of Environment & Forests

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 6

Mohd Habib - 242